an>

Title: Need to include people belonging to Rajak/Dhobi caste in the list of Scheduled Castes in Rajasthan and Madhya Pradesh.

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) ः रजक/धोबी समाज एक परिश्रमी एवं जागरूक समाज है किंतु मध्यप्रदेश में इसके जातीय वर्गीकरण में एक विसंगति है। दरअसल यहां तीन जिलों में यह समाज अनुसूचित जाति वर्ग में एवं शेष जिलों में पिछड़े वर्ग में शामिल है। इससे एक ही समाज के एक ही राज्य में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग वर्ग में होने से असंतोष की स्थिति बन रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र के समीपस्थ राजस्थान राज्य में भी यह जाति अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है। दोनों राज्यों में अलग-अलग वर्ग होने के चलते भी एक दूसरे राज्यों में बेटियों के विवाह होने पर उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि मध्यप्रदेश से राजस्थान में ब्याही गई समाज की बेटी को वहां प्रशासन पिछड़ा वर्ग में ही मानता है, जबकि राजस्थान से मध्यप्रदेश में ब्याही गई बेटी को पिछड़ा वर्ग में ही मान्यता दी जाती है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि रजक/धोबी समाज को सभी राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाए।